समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 507/गो0, दिनांक 18-12-2015 के द्वारा सूचित किया गया है कि विशेष चिकित्सीय जाँच हेतु सी0एम0सी0, भेलौर जाना है। इस हेतु दिनांक 24-12-2015 के अप0 से दिनांक 02-01-2016 तक आस्मिक अवकाश/ मुख्यालय से बाहर रहेंगे। मुख्यालय वापस आने तक उनके दैनिक कार्य एवं विधि-व्यवस्था के कार्यो के प्रभार में भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा रहेंगे। ऐसी स्थिति में शस्त्र का नवीकरण/ निरीक्षण कार्य प्रभावित न हो, को देखते हुए शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 54 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किसी अन्य पदाधिकारी को प्राधिकृत करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 401/श0, दिनांक 15-12-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा की अनुपस्थिति में अनुमंडल मधेपुरा अन्तर्गत सभी रायफल, एक नाली बन्दुक एवं दो नाली बन्दुक की अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2016-18 तक के लिए तथा निरीक्षण वर्ष 2016 के लिए नवीकरण/ निरीक्षण करने हेतु श्री रविशंकर शर्मा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्गत आदेश के शेष अंश यथावत रहेंगे। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 407 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 22/12/15

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल मधेपुरा अन्तर्गत सभी थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।